"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2013—माघ 24, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक 1285/डी. 45/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-02-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 6 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

उद्देशिका का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की उद्देशिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में, स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी संस्थाओं को संगठित और विकसित करने हेतु अधिनियम."

धारा 2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(एक) खण्ड (म-एक) में, शब्द "रजिस्ट्रार" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"राज्य निर्वाचन आयोग"

(दो) खण्ड (ख-क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
"(ख-ख) "प्राधिकृत व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा उसकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो;"

(तीन) खण्ड (य) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(य) "सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सहकारी सोसाइटी;"

(चार) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
"(घ) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अथवा सहकारी सोसाइटी का शासी निकाय जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का निदेशन एवं नियंत्रण का भार सौंपा गया हो;"

(पांच) खण्ड (न-एक) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :—
(न-एक) "अधिकारी" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसे सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिए सोसाइटी द्वारा नियुक्त किया गया हो, तथा सहकारी सोसाइटी द्वारा जिसमें कोई अधिकारी जिसकी पदस्थापना प्रतिनियुक्ति पर हुई है, भी सम्मिलित है.

(छः) खण्ड (न-एक) के पश्चात् निम्नानुसार खण्ड (न-एक क) अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(न-एक क) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष, और जिसमें कोई भी अन्य व्यक्ति, जो सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के द्वारा निर्वाचित किया जाता हो, भी सम्मिलित है;

(सात) खण्ड (खख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"(गग) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(घघ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ङङ) "अधिकरण" से अभिप्रेत है, धारा 77 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण;

(चच) "बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई सहकारी सोसाइटी जो बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 (क्र. 39 सन् 2002) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती हो;

(छछ) "राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटी जिसके कार्यक्षेत्र का विस्तार सम्पूर्ण राज्य में हो;

(जज) "प्रशासक" से अभिप्रेत है, व्यक्ति जिसे सहकारी सोसाइटी के बोर्ड के निलंबन अथवा अधिक्रमण के अधीन रखे जाने की कालावधि के दौरान, सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने के लिए ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(झझ) "कार्यकारी संचालक" से अभिप्रेत है, बोर्ड के निर्वाचित और सहयोजित संचालक को छोड़कर ऐसे संचालक जो संचालक मण्डल का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसे प्रबंधक संचालक, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, संचालक वित्त, संचालक विपणन और अन्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि, जिन पर कार्यकारी उत्तरदायित्व हो;

(ञञ) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट प्राधिकारी या निकाय, जिसका प्रयोजन सभी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन का संचालन, निर्वाचक नामावली तैयार करने पर अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण;

इस अधिनियम में जहां भी शब्द "समिति" आया हो, उसे शब्द "बोर्ड" से प्रतिस्थापित किया जाये.

4. मूल अधिनियम की धारा 19-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :— नवीन धारा 19-ङ का अंतःस्थापन.

"19-ङ **"सदस्यों आदि की शिक्षा"**—प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने बजट में, सदस्यों जिसमें पदाधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे, की शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय के लिए प्रावधान का समावेश करेगी."

5. मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :— धारा 32 का संशोधन.

"(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, अपने रजिस्टर्ड पते पर दैनिक कारोबार क्रियान्वित करेगी तथा अपने रजिस्टर्ड पते पर सहकारी सोसाइटी से संबंधित अभिलेख संधारित करेगी और यदि सहकारी सोसाइटी—

(एक) रजिस्ट्रार को परिवर्तित पते की संसूचना नहीं देती है; या

(दो) उसके रजिस्टर्ड पते पर कारोबार नहीं करती है; या

(तीन) उसके रजिस्टर्ड पते पर अभिलेख संधारित नहीं करती है.

तो रजिस्ट्रार जिम्मेदार अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पचास हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा."

धारा 48 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 48 में,—

(एक) उप-धारा (3) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में उनके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण उनकी सदस्यता के अनुपात में किया जाएगा :

परंतु यह कि ऐसा आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि एक स्थान (सीट) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी."

(दो) उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(7) (क) सदस्य जो बिना किसी उचित कारण के लगातार तीन सभाओं में जानबूझकर अपने आपको अनुपस्थित रखता है और जो उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान के पश्चात् प्रमाणित हो गया है, बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने से परिविरत हो जायेगा और सभी पारिणामिक लाभों से वंचित हो जायेगा."

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी में, कोई भी सदस्य, बोर्ड के सदस्य के रूप में, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा और न ही ऐसी सहकारी सोसाइटी के प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि को, बोर्ड के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा, जब तक कि वह ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के न्यूनतम स्तर जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा सभी प्रकार की सोसाइटियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर विहित किया जाए, का उपभोग नहीं कर लिया हो."

(तीन) उप-धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारायें जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

"(8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या, इक्कीस से अधिक नहीं होंगी, जिनमें से दो महिलायें होंगी :

परन्तु इस धारा की उप-धारा (9) के उपबंधों के अधीन नियुक्त सहयोजित विशेषज्ञ सदस्य एवं पदेन सदस्य और धारा 52 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन नियुक्त शासकीय नामिती और कार्यकारी संचालकों को बोर्ड के ऐसे इक्कीस सदस्यों की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा.

(9) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उन व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा जिन्हें ऐसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव हो अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता हो जो ऐसी सहकारी सोसाइटी द्वारा

किए जा रहे उद्देश्यों और क्रियाकलाप से संबंधित हो :

परंतु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या इस धारा की उप-धारा (8) में विनिर्दिष्ट इक्कीस सदस्यों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्य सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्य की हैसियत से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे और न ही बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होंगे."

7. मूल अधिनियम की धारा 49 में,— **धारा 49 का संशोधन.**

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "पूर्व तीन मास" के स्थान पर, शब्द "छ: माह की कालावधि" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (1) में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—
"(छ) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति के लिए."

(तीन) उप-धारा (7-क) (एक) के प्रथम परंतुक के पश्चात् द्वितीय परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि बोर्ड का कार्यकाल मूल कार्यकाल के आधे से कम है, तो बोर्ड, जिस वर्ग में आकस्मिक रिक्तियां उद्भूत हुई हैं, के संबंध में उसी वर्ग के सदस्य में से नामिती द्वारा बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति कर सकेगा."

(चार) उप-धारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(8) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व बोर्ड का निर्वाचन कराया जायेगा. यदि बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन नहीं कराये जाते हैं, या सहकारी सोसाइटी का बोर्ड किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने से परिविरत हो जाए, तो बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा अपने पद रिक्त किये गये समझे जाएंगे और बोर्ड की शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित समझी जाएंगी और राज्य निर्वाचन आयोग, छ: मास के भीतर तथा सहकारी बैंक के मामले में बारह मास के भीतर निर्वाचन करवायेगा :

परंतु रजिस्ट्रार इस उप-धारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किए जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा."

8. मूल अधिनियम की धारा 50-क में, उप-धारा (1-क) एवं (1-ख) का लोप किया जाए. **धारा 50-क का संशोधन.**

9. मूल अधिनियम की धारा 50-क के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :— **नवीन धारा 50-ख का अंत:स्थापन.**

"50-ख. **राज्य निर्वाचन आयोग.**—

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग को सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन कराने एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए प्राधिकृत करेगी.

(2) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा, जैसा कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक हो.

(3) इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों, जैसा कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है, ऐसी शक्तियां और कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण करेगा, जैसा कि ऐसे निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक समझा जाय.

(4) राज्य सरकार सभी सहकारी सोसाइटियों का निर्वाचन कराने के लिए, निर्वाचक नामावली तैयार कराने, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से नियम बनायेगी.

(5) सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की प्रक्रिया और रिटर्निंग अधिकारी की शक्तियां ऐसी होंगी जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए.

(6) आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों और अन्य सभी संबंधित लोगों के लिए जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न हैं, के द्वारा पालन किये जाने हेतु आचार संहिता अधिसूचित करेगा.

(7) आयोग को निर्वाचन में अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा के लिए भी सशक्त किया जाएगा और ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान पूर्णरूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे.

(8) (क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष, सभापति और कार्यकारी संचालक के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के संबंध में संसूचित करे और कार्यकारी संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन कराने हेतु आयोग को समय पर निवेदन कर लिया गया है, जिससे कि आयोग निर्वाचन करा सके;

(ख) उप-धारा (3) (क) के अधीन यथा उल्लेखित अनुरोध प्राप्त होने पर, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन, विद्यमान बोर्ड की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित कर लिया जाये;

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी आयोग निर्वाचन के प्रयोजन के लिए उससे अपेक्षा करे, अद्यतन है और आयोग या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को समय-समय पर उपलब्ध करवा दिये गये हैं;

(घ) सहकारी सोसाइटी का बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि सहकारी सोसाइटी द्वारा आयोग को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराए, जो कि निर्वाचन के संचालन के लिए इस संबंध में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए;

(9) किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड का निर्वाचन करवाने के लिए उपगत समस्त व्यय, संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा वहन किये जायेंगे.

(10) आयोग, बोर्ड या उसके सदस्यों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन के लिए युक्तियुक्त समझे जाएं एवं आयोग द्वारा इस धारा के अधीन जारी किए गए निर्देश उन पर बंधनकारी होंगे.".

52-ख का विलोपन. 10. मूल अधिनियम की धारा 52-ख का लोप किया जाए.

11. मूल अधिनियम की धारा 53 में,— धारा 53 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द "प्रथमत: दो वर्ष" के स्थान, पर शब्द "छ: माह" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के तृतीय परंतुक में अंक एवं शब्द "5 वर्ष" के स्थान, पर अंक एवं शब्द "1 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) परन्तु ऐसा आदेश छ: मास से अधिक के लिए तथा सहकारी बैंक के मामले में एक वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा."

(चार) उप-धारा (13) का लोप किया जाए.

(पांच) उप-धारा (13) के पश्चात्, निम्नानुसार उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(14) जहां रजिस्ट्रार की राय में :—

(एक) सहकारी सोसायटी का बोर्ड लगातार चूक करता हो, अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपेक्षा करता हो और ऐसा कृत्य किया हो जो सहकारी सोसायटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हो; या

(दो) जहां सोसाइटी के गठन या बोर्ड के कार्य में ऐसा गतिरोध पैदा हो गया हो;

(तीन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराने में चूक हुई हो ऐसे बोर्ड को अधिक्रमण या निलंबन के अधीन रखा जा सकेगा, और रजिस्ट्रार प्रशासक नियुक्त करने की कार्यवाही करेगा:

परन्तु यह और कि, किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अधिक्रमित नहीं किया जायेगा या निलंबन के अधीन नहीं रखा जाएगा जहां शासन की अंशधारिता या ऋण या वित्तीय सहायता या शासन द्वारा कोई प्रत्याभूति नहीं दी गई हो."

12. मूल अधिनियम की धारा 56 में,— धारा 56 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: माह के भीतर रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को विवरणी फाइल करेगी जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगी, अर्थात् :—

(एक) सहकारी सोसाइटी के क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन;

(दो) सहकारी सोसाइटी के लेखों का संपरिक्षित विवरण;

(तीन) सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष व्ययन के लिए योजना;

(चार) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन की सूची, यदि कोई हो तो;

(पांच) सहकारी सोसाइटी के साधारण सभा की बैठक का दिनांक तथा निर्वाचन शोध्य (ड्यू) होने पर, उसके आयोजन संबंधी घोषणा;

(छः) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी."

(दो) उप-धारा (3) में, शब्द "पांच हजार" के स्थान, पर शब्द "पचास हजार" प्रतिस्थापित किया जाए.

नवीन धारा 57-ख का अंतःस्थापन.

13. मूल अधिनियम के अध्याय पांच एवं धारा 57-क के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय पांच-क एवं धारा 57-ख अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अध्याय पांच-क

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान

57-ख. **अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों का प्रबंधन.—**

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी की उपविधियों या उसके अधीन जारी आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा.

(2) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(एक) "सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसमें अन्य सहकारी सोसाइटी या सहकारिता सदस्य हैं;

(दो) "सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) की धारा 2(च) के अधीन यथा परिभाषित सहकारिता;

(तीन) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(चार) "सहायक सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिता, जिसमें अन्य सहकारिता या सहकारी सोसाइटी सदस्य है;

(पांच) "अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी" में सम्मिलित है राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी.

(3) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, सहायक सहकारिता के सदस्य बनने हेतु पात्र होगी.

(ख) छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारिता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी की सदस्य हो सकती है.

(4) एक अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी एक सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी या एक सहायक सहकारिता की सदस्य अपनी इच्छानुसार बन सकती है या ऐसी सहकारी सोसाइटी या सहकारिता की सदस्यता से अलग हो सकती है.

(5) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की उपविधि या उपविधियों में कोई संशोधन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.

(ख) यदि, रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि प्रस्तावित उपविधियों या उपविधियों में संशोधन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के विरुद्ध हैं तो वह आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर उस पर सम्यक् रूप से कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे निरस्त करेगा.

(6) (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक अमानतदार न्यूनतम अमानत राशि एवं अवधि संबंधी मानदण्ड, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंशपूंजी के अंशदान करने के पश्चात् धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी के सदस्य बनने हेतु पात्र होंगे एवं उन्हें एक सदस्य के रूप में पूर्ण मताधिकार होगा.

(ख) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति या उधारकर्ता समूह को प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने का अधिकार होगा.

(ग) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत प्रत्येक समूह जमाकर्ता या उधारकर्ता समूह को समूह द्वारा नामित एक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान का अधिकार होगा.

(7) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों, विशेषत: निम्नांकित क्षेत्रों में स्वशासी होगी :—

(एक) रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप और उसके अध्यधीन अमानतों एवं ऋणों पर ब्याज दर,

(दो) उधार ग्रहण एवं विनियोग,

(तीन) ऋण नीतियों एवं व्यक्तिगत ऋण निर्णयों,

(चार) कार्मिक नीति, स्टाफिंग, भर्ती, कर्मचारियों की पदस्थापना और पारिश्रमिक, और

(पांच) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं अंकेक्षण के लिए प्रतिकर.

(8) किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और राज्य सरकार अथवा ऐसी सहकारी सोसाइटी अपनी इच्छानुसार राज्य सरकार का अभिदाय कम कर सकती है.

(9) (क) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा, यदि राज्य सरकार ने उसकी अंश

पूंजी में अभिदाय किया हो:

परन्तु यह कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मताधिकार होगा.

(ख) (एक) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा यदि बोर्ड की अंशपूंजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया हो:

परन्तु प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मतदान का अधिकार होगा.

(दो) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को, इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारी सोसाइटी अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारिता के साथ संव्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी.

(10) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को किसी भी स्तर की संरचना में प्रवेश करने तथा उससे बाहर की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और इसके प्रचालन के लिए भौगोलिक सीमाओं का आज्ञापक निर्बन्धन नहीं होगा.

(11) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी बैंक में अपना फंड विनियोजित अथवा निक्षेप कर सकेगी तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा निवेश अथवा निक्षेप उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी में करे जिससे वह संबद्ध है.

(12) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक से ऋण ले सकती है तथा राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त ले सकती है तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ऋण अथवा पुनर्वित्त उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी से ले जिससे वह संबद्ध है.

(13) कोई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से रजिस्ट्रार द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान कर सकती है.

(14) कोई व्यक्ति अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड में निर्वाचित, नामांकित या सहयोजित या एक सदस्य के रूप में निरंतर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि वह :—

(एक) ऐसा व्यक्ति है जो केन्द्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह ऐसे बैंक के भुगतान में 90 दिनों से अधिक अवधि का चूक करती हो ;

(दो) ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के शोध्यों के संदाय में चूक करता है या जो केंद्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व

करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है ऐसे बैंक के भुगतान में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चूक करती है, जब तक चूक मुक्त नहीं हो जाती.

(तीन) ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी बोर्ड अतिष्ठित हो गई है.

(15) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना अतिष्ठित नहीं की जाएगी.

(ख) किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर ही अतिष्ठित की जाएगी, यदि :—

(एक) कोई सहकारी सोसाइटी लगातार तीन वर्षों तक हानि उपगत करती हो;

(दो) गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जो इस प्रयोजन हेतु हुई जांच में प्रमाणित पायी गयी हों;

(तीन) धोखाधड़ी/कपट पाया गया हो;

(चार) लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति की कमी रही हो.

(16) (क) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व कराएगा.

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन अधिक्रमण की तारीख से, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में छः माह तथा राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में बारह माह के भीतर कराएगा:

परंतु यह कि परिस्थितियां नियंत्रण से परे होने पर, शासन अधिक्रमण की तारीख से छः माह से अनधिक अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन कराने की अनुमति प्रदान कर सकेगा.

(ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक्रमित किया गया है, का कोई सदस्य अधिक्रमण की तारीख से तीन वर्षो की कालावधि के लिए पुन: निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि जहां धारा 15 (ख) (चार) में अंतर्विष्ट आधारों पर अधिक्रमण किया जा रहा है, वहां गणपूर्ति का अभाव ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं है.

(17) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते हैं, को रजिस्ट्रार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, के द्वारा राष्ट्रीय बैंक अथवा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर हटाया जायेगा.

(18) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड में ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए, विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की संख्या दो से अधिक न हो तथा ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की राय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले निर्वाचित संचालकों की ऐसी संख्या न होने की दशा में राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों, यथास्थिति, की बोर्ड, ऐसे क्षेत्र में पेशेवर (वृत्तिक व्यक्ति) ऐसी संख्या में सहयोजित करेगी और ऐसे सहयोजित पेशेवरों को निर्वाचन को छोड़कर पूर्ण मताधिकार होगा चाहे, ऐसा वृत्तिक (पेशेवर) बोर्ड का सदस्य हो अथवा नहीं.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित ज्ञान अथवा अनुभव के बिना इस उप-धारा के खण्ड (क) के अधीन बोर्ड में सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है, तो उसे रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पद से हटाया जायेगा.

(19) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, की बोर्ड के सदस्यों के द्वारा राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी, जो तीन व्यक्तियों से अनधिक के नामों के पैनल में से होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा नियत मानदण्ड के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने हेतु पात्र हो और उपर्युक्त पैनल की अनुशंसा चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जिसमें से सभी राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों में से होंगे—

(एक) बोर्ड में राज्य शासन का नामिती.

(दो) बोर्ड में राष्ट्रीय बैंक का नामिती.

(तीन) बोर्ड का एक अन्य सदस्य जो या तो निर्वाचित हो या सहयोजित हो.

(20) कोई भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ [उनके अलावा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्त है] "बैंक" शब्द या बैंक शब्द के किसी अन्य व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं होंगे तथा अपने रजिस्ट्रीकृत नाम या अपने नाम के भाग के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे:

परंतु यह कि कोई प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ [उन संस्थाओं के अलावा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में अनुज्ञप्त है] इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व "बैंक" शब्द का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकृत है, शब्द "बैंक" अथवा इसके व्युत्पन्नों सहित, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन माह के भीतर विलोपित किये जायेंगे:

परंतु यह और कि जहां ऐसी कोई सहकारी सोसाइटी उपरोक्त प्रावधानों का उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सहकारी सोसाइटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसके परिसमापन का आदेश देगा.

(21) राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय लेखा पुस्तिकाओं का, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित ऐसे संपरीक्षकों के पैनल में से संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म्स द्वारा संपरीक्षा एवं सत्यापन किया जाएगा.

(22) जहां रिजर्व बैंक यह आवश्यक समझे, राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक यथास्थिति, के वित्तीय लेखाओं का विशेष अंकेक्षण रजिस्ट्रार करायेगा और ऐसे विशेष अंकेक्षण का संचालन तथा ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रस्तुति ऐसी रीति में तथा ऐसी समयावधि के भीतर की जायेगी, जैसी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाये.

(23) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड के अलावा किसी भी प्राधिकारी को इसके निवल मूल्य (नेट वर्थ) या ऐसी सहकारी सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु उन अपेक्षित निधियों को छोड़कर किसी निधि में किए जाने वाले अंशदान हेतु सहकारी सोसाइटी को निर्देशित करने की शक्तियां नहीं होंगी.

(24) सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवकेपूर्ण मानदण्ड जिसमें पूंजी के लिए जोखिम भारित आस्तियों के मानदण्ड (रिस्क वेटेड असेट्स रेश्यो) भी सम्मिलित है रजिस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विहित किये जायेंगे.

(25) (एक) जहां रिजर्व बैंक कोई विनियम विहित करता है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक या सहकारी केन्द्रीय बैंक, यथास्थिति, की बोर्ड के अतिष्ठान या परिसमापन की अनुशंसा भी शामिल है, तब रजिस्ट्रार ऐसी संसूचना के एक माह के भीतर अनुपालन करेगा.

(दो) रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह के एक माह के भीतर रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि परिसमापन या अधिक्रमण के लिए परिसमापक अथवा प्रशासक, यथास्थिति, नियुक्ति हो गया है.

(तीन) जहां रिजर्व बैंक की यह राय हो कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य ऐसे हैं कि ऐसे व्यक्ति का बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में निरंतर बने रहना बैंक के हित में वांछनीय नहीं है, तब रजिस्ट्रार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पद से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी तथा रजिस्ट्रार ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(चार) यदि कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट ज्ञान नहीं रखता है, तो रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, ऐसे सहयोजित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे पद से हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(26) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के प्रत्येक कर्मचारी ऐसी सहकारी सोसाइटी के संवर्ग से होंगे तथा सहकारी सोसाइटी को ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही के समस्त विषयों में पूर्ण शक्तियां होगी :

परन्तु यह कि कोई कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि पर वहां है, के निबंधन एवं शर्तों को संरक्षित किया जायेगा.

(27) जहां अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी को इस अध्याय के किसी उपबंधों में लोकहित में छूट दिया जाना अपेक्षित हो, तो राज्य सरकार रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से ऐसा करेगी.

(28) कोई भी प्राधिकारी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा अथवा ऐसे तरीके से ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेगा जिसके प्रभाव से किसी भी अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी की शक्तियों में इस अध्याय के उपबंधों के अंतर्गत कमी होती हो.

धारा 58 का प्रतिस्थापन.

14. मूल अधिनियम की धारा 58 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"58. **लेखाओं की संपरीक्षा.—**

(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, संबंधित आय, व्यय के लेखों का संधारण ऐसे प्रारूपों में करेगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाए और प्रत्येक सहकारी वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे तथा सहकारी वर्ष के अंतिम दिवस की स्थिति पर तुलन पत्र प्रस्तुत करेगी.

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखा पुस्तकों और समस्त संव्यवहारों जो उसके कारोबार से संबंधित है के अभिलेखों को संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स जो साधारण निकाय द्वारा इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से. प्राधिकृत किया गया है, को प्रस्तुत करेगी.

(3) रजिस्ट्रार, ऐसे व्यक्ति को जो भारत के सनदी लेखाकारों की संस्था अथवा संपरीक्षा फर्म्स का सदस्य नहीं है और जो उक्त संस्था द्वारा ऐसी संपरीक्षा करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं किया गया हो, शामिल नहीं करेगा:

परंतु यह कि ऐसे सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसमें सरकारी अंशधारिता अथवा ऋण अथवा कोई शासकीय प्रतिभूति या वित्तीय सहायता दी गयी है, रजिस्ट्रार पैनल में संपरीक्षक को शामिल कर सकेगा.

(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत संपरीक्षकों अथवा परीक्षकों के समूह द्वारा कराएगी और संपरीक्षा के लिए ऐसी फीस देय होगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित की जाए:

परन्तु यह कि—

(.एक) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से सोसायटियों के किसी वर्ग को ऐसा शुल्क भुगतान करने में छूट दे सकेगी ;

(दो) रजिस्ट्रार, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स के न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण करेगा;

(तीन) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसे लेखे संबंधित हो, की समाप्ति के छः माह के भीतर कराई जाएगी और सहकारी सोसाइटी की लेखाओं का संधारण संबंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित किया जाएगा;

(चार) संपरीक्षक, जिसके द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षण किया जाना है, की नियुक्ति इस संबंध में रजिस्ट्रार

द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स के पैनल में से सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि वहां संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात्, कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है तो रजिस्ट्रार, इस प्रयोजन के लिए विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा.

(5) उप-धारा (1) के अधीन संपरीक्षा में लेखाओं तथा अतिशोध्य ऋणों, यदि कोई हो, की परीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अधीन जारी किए गए निर्देशों तथा आदेशों के अनुपालन की परीक्षा, रोकड़ अधिशेष तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन एवं ऐसी अन्य मदें जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित हैं.

(6) संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स की समस्त समयों पर सहकारी सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज-पत्रों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में कोई ऐसी पुस्तक, लेखे, दस्तावेजें, कागज-पत्र, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हों, या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उन्हें उस सहकारी सोसाइटी के मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा के किसी स्थान पर पेश करने के लिए समन कर सकेगा.

(7) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सहकारी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा किसी समय रह चुका हो, तथा किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सहकारी सोसाइटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जैसा कि संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स अपेक्षित करे:

परंतु यह कि शीर्ष सोसायटियों के लेखाओं का संपरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान सभा के समक्ष ऐसी रीति में रखा जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये."

15. (एक) मूल अधिनियम की धारा 74 के खण्ड (ट) में शब्द "अपराध घोषित किया गया है" के पश्चात् पूर्ण विराम (।) के स्थान पर, अर्द्धविराम (;) तथा शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 74 का संशोधन.

(दो) मूल अधिनियम की धारा 74 में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ठ) अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना कोई युक्तियुक्त कारण के, कोई समंस, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किया गया हो, की अवहेलना करता हो; या

(ड) कोई नियोजक जो बिना कोई पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से कटौती की गई धन राशि, ऐसी कटौती किए जाने के दिनांक से चौदह दिवस की कालावधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में विफल रहता हो; या

(ढ) बोर्ड के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के निर्वाचन के दौरान, पूर्व अथवा पश्चात् कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण करता हो, जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित किया गया हो."

धारा 75 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 75 में,—

(एक) (1) खण्ड (क), (घ), (ङ) और (ज) में, अंक "2000" के स्थान पर, क्रमशः अंक "50,000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(2) खण्ड (ख), (ग), (ञ) में, अंक "1000" के स्थान पर, क्रमशः अंक "25,000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(3) खण्ड (झ) में, अंक "500" के स्थान पर, अंक "25,000" प्रतिस्थापित किया जाए.

(4) खण्ड (च), (छ) और (ट) में, अंक "250" के स्थान पर, क्रमशः अंक "25,000" प्रतिस्थापित किए जाएं.

(दो) उप-खण्ड (ट) में, शब्द "सिद्धदोष ठहराया गया हो" के पश्चात् पूर्ण विराम (।) के स्थान पर अर्ध विराम (;) तथा शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ठ) जुर्माने से जो 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ठ) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ड) जुर्माने से जो 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा, प्रत्येक मामले में दण्डनीय होगा यदि उसे धारा 74 (ड) में निर्दिष्ट किये गये किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(ढ) जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए"

अध्याय दस का अंतःस्थापन.

17. मूल अधिनियम के अध्याय दस के स्थान पर निम्नलिखित नया अध्याय प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अध्याय दस

अधिकरण का गठन

77. **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण.**—

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण का गठन करेगी जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण कहा जायेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो कि अधिकरण को इस अधिनियम और छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्रमांक 2 सन् 2000) द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किये जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं.

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे.

(3) (क) कोई भी व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष होने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रह चुका हो या कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण न कर चुका हो.

(ख) अन्य दो सदस्यों में एक सदस्य सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी होगा, जो अपर रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का न हो और दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा, जो सहकारी आंदोलन से घनिष्ठतः

सम्बद्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर होगा, जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो:

परंतु यदि राज्य सरकार उचित समझे तो अधिकरण का गठन एक व्यक्ति से कर सकेगा.

स्पष्टीकरण :— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "अशासकीय व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण न करता हो.

(4) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने या अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा, यदि वह किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड जो कि किसी सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय से भिन्न हो, का सदस्य हो.

(5) (क) अधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य सामान्यत: कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक पांच वर्ष की ऐसी कालावधि के लिए पद धारण करेगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेंगे.

(ख) कोई व्यक्ति जिसने खण्ड (क) में उल्लिखित की गई कालावधि के लिये अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(ग) अधिकरण का कोई भी सभापति या कोई सदस्य, किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा.

(घ) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद की नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा, जो कि अधिकरण में उसकी स्थिति से असंगत न हो.

(6) उप-धारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगी. यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते रहने में असमर्थ या अयोग्य हो:

परन्तु कोई भी नियुक्ति इस उप-धारा के अधीन तब तक समाप्त नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी समाप्ति के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर उस व्यक्ति को, जिसकी कि नियुक्ति का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, न दे दिया गया हो.

(7) (क) यदि सभापति या सदस्य का पद छुट्टी, अनुपस्थिति, प्रतिनियुक्ति, मृत्यु, पद-त्याग, नियुक्ति की अवधि के अवसान, नियुक्ति की समाप्ति के कारण या किसी भी अन्य कारण चाहे जो भी हो, से रिक्त हो जाए तो ऐसी रिक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी, जो इस धारा के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित हो.

(ख) जब तक कि अध्यक्ष के पद की रिक्ति उपधारा (1) के अधीन भरी न जाए, तब तक ज्येष्ठतम सदस्य अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

(8) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए.

(9) अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन ऐसे न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा, जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा अधिकरण के सदस्यों में से, जिनमें वह स्वयं सम्मिलित है, किया गया हो:

परन्तु कोई अंतर्वर्ती आवेदन उपस्थित होने वाले दो या अधिक सदस्यों द्वारा सुना जा सकेगा.

(10) ऐसे न्यायपीठों में दो या दो से अधिक सदस्य होंगे.

(11) जहां किसी मामले की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की जाए, वहां बहुमत की राय अभिभावी होगी तथा विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा, जहां किसी मामले की सुनवाई समसंख्यक सदस्यों द्वारा की जाए और वे सदस्य अपनी-अपनी राय में बराबर बंटे हुए हों, वहां यदि अध्यक्ष उन सदस्यों में से एक सदस्य हो तो अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी और अन्य मामलों में वह विषय सुनवाई के लिए अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके विनिश्चय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा.

(12) अधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए तथा अपने कामकाज के निपटारे के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विनियम विरचित करेगा, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से संगत हों.

(13) उपधारा (12) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे.

(14) अधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर किसी ऐसी कार्यवाही के, जिसमें कि कोई अपील उसको न होती हो, अभिलेख में किए गए किसी विनिश्चिय या पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा करेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, यदि किसी मामले में अधिकरण को यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश उपान्तरित किया जाना चाहिए, तो अधिकरण उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह न्याय संगत समझे.

(15) जहां कोई अपील या आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को किया गया हो, वहां वह अधिकरण न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए यथास्थिति अपील या आवेदन-पत्र का विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा, जो कि उसे न्याय संगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हों या ऐसे आदेश कर सकेगा, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या अधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों.

(16) इस अधिनियम के अधीन अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और वह किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

(17) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाला अधिकरण उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि किसी अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 97 तथा उस संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 द्वारा प्रदत्त की गई है.

77-क. **पुनर्विलोकन.—**

(1) अधिकरण अथवा रजिस्ट्रार किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे, जैसा कि वह न्यायसंगत समझे:

परंतु हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक अधिकरण या रजिस्ट्रार, यथास्थिति, का यह समाधान न हो जाये कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जब कि उसका आदेश किया गया था, या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो जाती है, या कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है:

परंतु यह और कि ऐसा आदेश तब तक परिवर्तित, संशोधित या पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिए सूचना न दे दी गई हो और ऐसे आदेश के समर्थन में सुना न गया हो:

(2) किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किसी आदेश के पुनर्विलोकन का आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदन उस आदेश के पारित किये जाने की तिथि से नब्बे दिवस के भीतर फाइल न किया गया हो.

77-ख. **अधिकरण द्वारा सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना.—**

(1) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में अधिकरण को निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का [illegible] करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :

(क) शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत;

(ख) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा [illegible] पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या पेश किये जाने के लिए [illegible] करना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना.

(2) किसी भी ऐसे शपथ पत्र की दशा में, कोई भी ऐसा अधिकारी जो अधिकरण द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया गया हो, अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा.

78. **रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें.—**

(1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील :—

(क) रजिस्ट्रार को तब होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी, जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न

हो, के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे ऐसा आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से निहित हो या न हो;

(ख) अधिकरण को तब होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो.

(2) प्रथम अपील में रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकरण को मात्र निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, अर्थात् :—

(एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश में विधित के कतिपय तात्विक विवाद्यक का अवधारण नहीं हो पाया है; या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो सकती है.

(3) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी :

परंतु इस उप-धारा के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा.

78-क. **कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमा-काल का बढ़ाया जाना.**— वे समस्त मामले जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था.

79. **कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनर्विलोकन न होना.**—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति से या उसकी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर,—

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो ; या

(दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई योजना बनाई गई हो; या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की बोर्ड के, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, के अतिष्ठान या निलम्बन के लिए आदेश किया गया हो तथा इसके लिए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई हो,

वहां उसके विरुद्ध कोई अपील या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या स्वीकृति या अध्यपेक्षा प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी जहां ऐसा आदेश, योजना समझौता, प्रबंध, निर्माण, पुनर्निर्माण या संविलियन के लिए पारित किया गया हो या बनाया गया हो.

80. **मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण.**— धारा 78 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले, या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चिय करने के लिए सक्षम हो, अंतरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से उसके समक्ष विनिश्चय हेतु लंबित किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा तथा या तो वह स्वयं कार्यवाही करने हेतु अग्रसर होगा या उसे अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा.

80-क. **बोर्ड एवं अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.**—रजिस्ट्रार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किए गए किसी आवेदन पर किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाहियों का अभिलेख या किसी सहकारी सोसाइटी की बोर्ड के किसी विनिश्चय को, किए गए किसी विनिश्चय या पारित किये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारियों या बोर्ड की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा. यदि किसी मामले में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार मंगाए गए किसी विनिश्चय या आदेश या कार्यवाहियों को उपान्तरित किया जाना चाहिए, बातिल (शून्य) किया जाना चाहिए या उलटा जाना चाहिए तो रजिस्ट्रार उसमें ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो कि वह ठीक समझे :

परंतु इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो :

परंतु यह और कि इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी.

80-ख. **अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति.**—जहां कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति, अधिकरण या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, यथास्थिति अपील या आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या उसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो.

80-ग. **आदेशों के निष्पादन का रोका जाना.**—

(1) धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद उत्तरवर्ती, अपील के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील फाइल करने तथा अपील प्राधिकारी से स्थगन आदेश अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो.

(2) वह प्राधिकारी, जो धारा 78 या धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो अपील या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जैसा कि वह उचित समझे.

(3) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निर्देश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

80-घ. **लंबित मामलों का अंतरण.**—इस अधिनियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के गठन के अधिसूचना की तारीख के तत्काल पूर्व राज्य सरकार के समक्ष लंबित प्रत्येक अपील या कोई अन्य कार्यवाही अधिकरण को अंतरित हो जाएगी."

नवीन धारा 95-क का अंतःस्थापन.

18. 95-क. मूल अधिनियम की धारा 95 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"95-क. **कठिनाईयों का निराकरण.**—

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह ऐसी कठिनाई के निराकरण करने के लिए आवश्यक समझे:

परंतु यह कि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रभावशील होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश विधानसभा के पटल पर यथाशीघ्र रखा जाएगा और जो किसी भी दशा में आदेश की तारीख के ठीक आगामी सत्र के अंतिम दिवस के पश्चात् नहीं होगा.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2013

क्रमांक 1285/डी. 45/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2013)

THE CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Re-public of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

Amendment of Preamble.

2. The Preamble of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No.17 of 1961) (hereinafter referred to as Principal Act), shall be substituted by the following:—
"An Act to organize and develop Co-operatives as democratic instruments and people's Institution based on the principles of voluntary formation, autonomous functioning, democratic member - control, member - economic participation and autonomous functioning."

Amendment of Section 2.

3. In Section 2 of the Principal Act,—

(i) In clause (y-i), the word "Registrar", shall be substituted, by the following words—
"State Election Commission"

(ii) After clause (b-i), the following clause shall be added, namely:—
"(b-ii) "Authorized Person" means a person authorized by Registrar to act on his behalf under this Act;"

(iii) Clause (z) shall be substituted, by the following:—
"(z) "Co-operative Society" means a Co-operative society registered or deemed to be registered under this Act"

(iv) The Clause (d) shall be substituted by the following:—
(d) "Board" means the board of directors or the governing body of a co-operative society, by whatever name called, to which the direction and control of the management of the affairs of a society is entrusted to;

(v) clause (t-i), shall be substituted, by the following:—
(t-i) "Officer" means a person appointed by the society to discharge the function assigned by the society and includes any officer posted on deputation;

(vi) After clause (t-i), the following clause (t-ia) shall be inserted, namely:—
(t-ia) "office bearer" means a President, Vice-President, Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary or Treasurer of a co-operative society and includes any other person to be elected by the board of any co-operative society;

(vii) After clause (bb), the following clauses shall be added, namely:—
"(cc) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(dd) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(ee) "Tribunal" means the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal constituted under Section 77."

(ff) "Multi-State co-operative society" means a society registered or deemed to be registered under the Multi-State co-operative societies Act 2002 (No 39 of 2002)

(gg) "State level co-operative society" means a co-operative society having its area of operation extending to the whole of the State.

(hh) "Administrator" means a person appointed by Registrar with such terms and conditions to manage the affairs of the societies during the period in which the board of society is kept under supersession or suspension .

(ii) "Functional Director" means a Director other than elected and co-opted of the board, having functional responsibilities but re- presenting the board of directors, such as Managing Director, Additional Managing Director, Director Finance, Director Marketing , Secretary and other functional Officer etc;

(jj) "State Election Commission" means an authority or body referred to in article 243K of Constitution of India, for the purpose of superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society.

In this Act, wherever the word "Committee" occurs shall be substituted by the word "Board"

Insertion of new Section 19-E.

4. After Section 19-D of the Principal Act, the following Section shall be added, namely:—

"19-E. Education of members, etc.- (1) Every Co-operative society shall include in its budget in every financial year, provisions for expenses on the Education and Training of Members, including office bearer, other officer and Staff.

Amendment of Section 32.

5. After sub-section (3) of Section 32 of the Principal Act, the following shall be added, namely:—

(4) Every society shall carry on day to day business by its registered address and shall maintain records pertaining to the society at its registered address if the society does not—

(i) communicate the changed address to the Registrar, or
(ii) carry on the business at its registered address, or
(iii) maintain the records at its registered address.

The Registrar may impose penalty not exceeding fifty thousand rupees on the officer responsible after giving a reasonable opportunity of being heard.

Amendment of Section 48.

6. In Section 48 of the Principal Act,—

(i) sub-section (3) shall be substituted, namely :-

(3) "The reservation of the seats on the board of the society from among its members belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be in proportion to their membership."

Provided that such reservation shall not exceed 50% of membership of the board.

Provided further that one seat shall be reserved for Schedule Castes and Scheduled Tribes, as the case may be.

(ii) For sub-section (7), the following shall be substituted, namely:-

"(7) (a) A member who absents himself willfully in three consecutive meetings without reasonable cause, and which is proved after giving him reasonable opportunity, shall be ceased to be a member of the board, and is debarred from all consequential benefits.

(b) In a Co-operative society, no member shall be qualified for election as member of the board, delegate or representative and entitled to vote in any election of the board, delegate or representative of the co-operative society unless he has availed minimum level of services by such society as may be prescribed in this regard from time to time."

(iii) After sub-section (7), the following sub-sections shall be added, namely :-

"(8) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder or bylaws of the societies total number of members of the board shall not exceed twenty-one, of which two shall be women.

Provided further that co-opted specialist member appointed under provisions of sub-section (9) of this Section and ex-officio member, and Government nominee appointed under provisions of sub-section (1) of Section 52 and functional director(s) shall be excluded from the maximum number of members for the purpose of this sub-section.

(9) Notwithstanding anything contained in this Act or rules made thereunder, Board shall co-opt those persons as members of the board having experience in the field of banking management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative society, as member of the board of such society:

Provided that the number of such co-opted member shall not exceed two in addition to twenty-one members specified in sub-section (8) of this Section.

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as office bearers of the board."

7. In Section 49 of the Principal Act,— **Amendment of Section 49.**

(i) In sub-section (1), for the words "three month before" the words "a period of six months of" shall be substituted.

(ii) In sub-section (1), after clause (f), the following clause shall be added, namely :—
"(g) appointment of Auditor for next financial year."

(iii) After proviso to sub-section (7-A) (i), the following proviso shall be inserted, namely :—
"Provided further that the board may fill a casual vacancy on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of board is less than half of its original term."

(iv) For sub-section (8), the following shall be substituted, namely:—
"(8) Notwithstanding anything contained in this Act or Rules made thereunder the election of a board shall be conducted before the expiry of the term of the board. If the elections are not held before the expiry of the term, or board of society ceases to function due to the order of any court or otherwise all the members of the board shall be deemed to have vacated their seats and the powers of the board shall be deemed to have been vested in the Registrar and the State Election Commission shall hold elections within six months, or twelve months in case of the Co-operative Banks:

Provided that the Registrar may authorize any officer to exercise the powers of the board vested in him under this sub-section and the officer so authorized shall exercise such powers form the date of such authorization."

Amendment of Section 50-A.

8. In Section 50-A of the Principal Act, the sub-section (1-A) and (1-B) shall be omitted.

Insertion of a new Section 50-B.

9. After Section 50-A of the Principal Act, the following shall be added, namely:—
"50-B. **State Election Commission.—**

(1) State Government may by notification in the Official Gazette Authorize State Election Commission to conduct Election of co-operative Societies and preparation of electoral rolls.

(2) State Election Commission shall in consultation with State Goverment appoint such numbers of officers and other staff as may be required for conducting election in respect of co-operative societies ;

(3) In exercise of power under this section, the state election commission shall determine the duties and responsibilities as well as the powers that may be exercised by such officers and the staff refer to in sub-section (2), as the commission may deem fit for conducting the election.

(4) The State Goverment Shall, in consultation with the State election commission make rules for the preparation of electoral rolls for conducting elections to all co-operative societies.

(5) The process of Election to co-operative societies and the powers of returning office shall be as may be notified by the commission for the purpose.

(6) The commission shall notify the code of conduct to be followed by the candidates, others and functionaries engaged in the process of election for in enabling free and fair election.

(7) The commission shall also be empowered to requisition the services of other officers to aid and assist in the election, and such requestioned officers will be under the over all supervisions in control of commission during the election.

(8) (a) It shall be obligatory on the president, Chairman and Functional Director of every co-operative society to notify state election commission about election and it shall be the duty of functional director to ensure that the request for holding elections is made available to the commission in time to enable the commission to conduct election :

(b) On receipt of the request, as laid down under sub-section (3)(a) the Commission shall ensure that the election be held before the expiration of the term of existing board;

(c) It shall be the duty of the board of the society to ensure that all information, books and records are kept upto date and are being made available from time to time to the Commission or any person authorized by him in this behalf as may be required/expected by him for the purpose of election;

(d) The Board of the society shall also ensure that all such assistance is being made available to Commission by the society as may be expected by him in this regard to conduct elections;

(9) All expenses incurred in conducting the elections of the board of any society shall be borne by the society concerned.

(10) The Commission may issue such instructions to the board or its members which it may consider reasonable for conducting free and fair election. Instructions issued under this section by the Commission shall be binding on them.

10. Section 52-B of the Principal Act, shall be omitted.

Amendment of Section 52-B.

11. In Section 53 of the Principal Act,—

Amendment of Section 53.

(i) In clause (c) of sub-section (1), for the words "two years in the first instance" the words "six months" shall be substituted.

(ii) In third proviso of clause (c) of sub-section (1), for the figure and word "5 years" the figure and word "1 year" shall be substituted.

(iii) For sub-section (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3) No such order shall remain in force for more than six months, and one year in case of Co-operative Banks."

(iv) Sub-section (13) shall be omitted.

(v) After sub-section (13), the following shall be added, namely:—

"(14) where in the opinion of the Registrar :—

(i) the board of co-operative society is in persistent default, or negligent in the performance of its duties and has committed any act prejudicial to the interest of the co-operative societies or its member; or

(ii) there is stalemate in the constitution or functions of the board: or

(iii) the State Election Commission has failed to conduct election as per the Act, such board may be superseded or kept under suspension and the Registrar shall proceed to appoint administrator.

Provided further that the board of any such co-operative societies shall not be superseded or kept under suspension where there is no Goverment shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the Goverment.

Amendment of Section 56.

12. In Section 56 of the Principal Act,—

(i) After sub-section (1), the following shall be inserted, namely :—

"(1-a) Every society shall file returns within six months of the close of every financial year to the Registrar or any person authorized by him on his behalf pertaining to the following, namely:-

(i) Annual report of its activities;

(ii) Its audited statements of accounts;

(iii) Plan for surplus disposal as approved by the general body of the society;

(iv) List of amendments to the bylaws of the society, if any;

(v) Declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of election when due; and

(vi) Any other information required by the Registrar in pursuance of any provision of this Act."

(ii) In sub section (3), for the words "five thousand" the words "fifty thousand" shall be substituted.

Insertion of new Section 57-B.

13. After Chapter V and Section 57-A of the Principal Act, the following new Chapter V A and Section 57-B shall be inserted, namely:—

"CHAPTER V-A

Provision regarding short term Co-operative Credit Structure Societies

57-B. **Management of short term Co-operative Credit Structure Societies.—**

(1) Notwithstanding anything contained in this Act or Rules framed thereunder or bylaws of any registered society or orders issued thereunder, the provisions of this chapter shall have overriding effect.

(2) In this Chapter. unless the context otherwise requires.-

(i) "Affiliating Society" means a society of which another society or co-operative is a member;

(ii) "Co-operative" means a co-operative as defined under Section 2(f) of Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000);

(iii) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under Section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981);

(iv) "Secondary Co-operative" means a co-operative registered under Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) of which another co-operatives or society is a member;

(v) "Short term co-operative credit structure society" includes the State Co-operative Bank, a Central Co-operative Bank and a Primary Agricultural Credit Co-operative Society.

(3) (a) Short term co-operative credit structure society shall be eligible to be a member of a secondary co-operative.

(b) A co-operative registered under Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) may become the member of an affiliating society registered under this Act.

(4) A short term co-operative credit structure society may become a member of an affiliating society or a secondary co-operative of its choice or leave the membership of such society or co-operative.

(5) (a) The bylaws or any amendment to the bylaws of a short term co-operative credit structure society shall be registered by the Registrar within thirty days from the date of receipt of the application.

(b) If the Registrar is satisfied that the proposed bylaws or the amendments to the bylaws are contrary to the provisions of the Act and the rules made thereunder he shall reject the same duly recording his reasons thereon within thirty days from the date of receipt of the application..

(6) (a) Every depositor in a primary agricultural credit co-operative society, subject to the criteria of minimum deposit amount and period, as prescribed by Registrar from time to time, shall be eligible to be a member of the society under sub-section (1) of Section 19 after subscribing the minimum share capital specified in the bylaws of the society and shall have full voting rights of a member.

(b) An individual or a group of borrower shall have the right to become member of a primary agricultural credit co-operative society under sub-section (1) of Section 19.

(c) Every group of depositor or a group of borrower admitted, as member under sub-section (1) of Section 19, shall be entitled to vote through a delegate nominated by such group.

(7) The short term co-operative credit structure society shall be autonomous in all financial and internal administrative matters especially in the following areas:—

(i) interest rates on deposits and loans in conformity with and subject to Reserve Bank's guidelines,

(ii) borrowings and investments,

(iii) loan policies and individual loan decisions,

(iv) personnel policy, staffing, recruitment, posting and remuneration to staff, and

(v) internal control systems, appointment of auditors and compensation for the audit.

(8) The State Government's subscription in the share capital of any short term co-operative credit structure society shall not exceed twenty five percent and the State Government or such society may reduce the State Government's subscription further at its choice.

(9) (a) There shall be only one nominee of the State Government in the board of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank if the State Government has subscribed to its share capital:

Provided that the nominee of the State Government in the board of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank shall not take part in election nor shall have any voting right in such election.

(b) (i) There shall be only one nominee of the State Government in the board of a primary agricultural credit co-operative society if the State Government has subscribed to its share capital:

Provided that the nominee of the State Government in a board in the primary agriculture credit society shall not take part in election nor shall have any voting right in such election.

(ii) A short term co-operative credit structure society shall have full freedom to transact with other societies registered under this Act or co-operatives registered under the Chhattisgarh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000).

(10) A short term co-operative credit structure society shall have the freedom of entry and exit at any tier and there shall be no mandatory restrictions of geographical boundaries for its operations.

(11) A short term co-operative credit structure society may, subject to the guidelines of the Reserve Bank, invest or deposit its funds in any bank regulated by the Reserve Bank and not necessarily in the affiliating society to which it is affiliated.

(12) A short term co-operative credit structure society may obtain loans from any bank regulated by the Reserve Bank and refinance from the National Bank and not necessarily from the affiliating society to which it is affiliated.

(13) A primary agricultural credit co-operative society may pay dividend in accordance with the guidelines framed by the Registrar in consultation with the National Bank.

(14) No person shall be elected, nominated or co-opted or allowed to continue as a member of the board of a short term co-operative credit structure society, if he—

(i) is a person who represents a society other than a primary agricultural credit co-operative society on the board of a Central Co-operative Bank or the State Co-operative Bank, if the society he represents has committed a default towards the payments of such bank for a period exceeding ninety days;

(ii) is a person who committed a default towards the payments to a primary agricultural credit co-operative society or represents a primary agricultural credit co-operative society on the board of a Central Co-operative Bank or the State Co-operative Bank, if the society he represents has committed a default towards the payments of such bank for a period exceeding one year unless the default has been cleared;

(iii) is a person, who represents a society whose board is superseded.

(15) (a) The board of the State Co-operative Bank and the Central Co-operative Banks shall not be superseded without prior consultation with the Reserve Bank.

(b) The board of a primary agricultural credit co-operative society may be superseded only on any of the following grounds, if—

(i) the society incurs losses for three consecutive years;

(ii) serious financial irregularities as proven in enquiry for the purpose;

(iii) fraud has been identified;

(iv) lack of quorum in three consecutive meetings.

(16) (a) The State Election Commission shall conduct elections to a short term co-operative credit structure society before the expiry of the term of the existing board.

(b) The State Election Commission shall conduct elections to a short term co-operative credit structure society within six months in case of Primary Agricultural Credit Cooperative Society and twelve months in case of State Cooperative Banks and Central Co-operative Banks from the date of its supersession:

Provided that in circumstances beyond control, the Government may allow holding of such elections within a period not exceeding six months from the date of supersession.

(c) A member of the board of a primary agricultural credit co-operative society which has been superseded under this Act shall not be entitled to contest the election again for a period of three years from the date of supersession:

Provided that where the supersession is owing to the grounds contained in Section 15(b)(iv), the lack of quorum is not due to the absence of such member.

(17) The members of the board and Chief Executive Officers of the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Banks who do not fulfill the criteria stipulated by the Reserve Bank shall be removed by the Registrar or the Appointing Authority, as the case may be, on the recommendation of the Reserve Bank or the National Bank.

(18) (a) Where the number of elected members on the board of a State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank does not, in the opinion of National Bank, possess special knowledge or experience in such fields as may be stipulated by the National Bank, the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank, as the case may be, shall co-opt such number of professional in such field, not exceeding two and the professionals so co-opted shall have full voting rights except the election irrespective of whether such professional is a member of the Society or not.

(b) If any person who, in the opinion of the Reserve Bank, has been co-opted as a member of the board under clause (a) of this sub-section without having requisite knowledge or experience as stipulated by the Reserve Bank, he shall, on being advised by the Reserve Bank or the National Bank, be removed from the office after giving him a reasonable opportunity of being heard.

(19) The Chief Executive Officer of the State Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank, shall be appointed by the members of the board of the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank, as the case may be, from among a panel of names not exceeding three persons eligible to hold the office of Chief Executive Officer in accordance with the criteria stipulated by Reserve Bank; and the aforesaid panel shall be recommended by a selection board consisting of the following persons all of whom shall be the members of the board of the State Co-operative Bank or the Central co-operative Bank as the case may be :—

(i) The nominee of State Government on the board.

(ii) The nominee of the National Bank on the board.

(iii) One other member of the board whether elected or co-opted.

(20) No primary agricultural credit co-operative society or its federation or association (except those which are permitted to act as a bank under Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) shall be registered with the term 'bank' or any other derivative of the term 'bank' in its registered name or shall use the same as a part of its name.

Provided that where any primary agricultural credit co-operative society or its federation or association (except those which has permitted as a bank under Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) has been registered using the term "bank" before the coming into force of this Act, the term "bank" along with its derivatives term shall be omitted within three months from the date of enforcement of this Act.

Provided further that where any such society fails to comply with the above provisions within the period specified therein, the Registrar shall order the winding up of such society after giving a reasonable opportunity of being heard.

(21) The financial accounts of the State Co-operative Bank or Central Co-operative Bank, as the case may be, audited and certified by an auditor or auditing firms from among the panel of such auditors approved by the Registrar and appointed by the General Body in this behalf.

(22) Where the Reserve Bank so requires, the Registrar shall conduct a special audit of the financial accounts of the State Co-operative Bank or the Central Co-operative Banks, as the case may be, conduct the special audit and furnished the report of such audit in such manner and within such time as may be stipulated by the Reserve Bank.

(23) No authority other than the board of the short term co-operative credit structure society shall have the power to direct the society that a contribution to be made to any fund other than that required for improving its net worth or the financial position of such society.

(24) The prudential norms, stipulated by the Reserve Bank including norms for capital to risk weighted assets ratio, shall be prescribed by the Registrar in consultation with the National Bank in respect of all primary agricultural credit co-operative societies.

(25) (i) Where the Reserve Bank prescribes any regulation, including a recommendation of supersession of a board or the winding up of State Co-operative Bank or Central Co-operative Banks, as the case may be, the Registrar shall comply with the same within one month from the date of such communication.

(ii) The Registrar shall ensure that the liquidator or the Administrator, as the case may be, is appointed within one month of being so advised by the Reserve Bank for winding up or supersession.

(iii) Where in the opinion of the Reserve Bank, the functioning of the Chief Executive Officer of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, as the case may be, is such that it is not desirable in the interest of the bank to continue the person as the Chief Executive Officer of the bank, it may require the registrar to remove the Chief Executive Officer; and the registrar shall proceed forthwith to remove such Chief Executive Officers after giving a reasonable opportunity of being heard.

(iv) Where in the opinion of the Reserve Bank, a person does not possess the requisite special knowledge specified by it, the Registrar shall on being advised by the Reserve Bank, proceed forthwith to remove such co-opted member after giving a reasonable opportunity of being heard.

(26) Every employee of short term co-operative credit structure society shall be borne on the cadre of such Society and the Society shall have the full powers in all matters of appointment, promotion, disciplinary action, in respect of such employees:

Provided that the terms and conditions of an employee who is there on the date of this Act coming in to force, shall be protected.

(27) Where short term co-operative credit structure society is required to be exempted from any of the provisions of this Chapter in the public interest, the State Government shall do so with the prior approval of Reserve Bank.

(28) No authority shall do anything or act in any manner which may have the effect of abridging the power of any short term credit structure society under the provisions of this Chapter.

Amendment of Section 58.

14. For Section 58 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:—

58. **Audit of Accounts.—**

(1) Every co-operative society shall maintain books of accounts of its income, expenditure pertaining to the society's in the forms to be prescribed by the Registrar and shall present the profit and loss accounts for each co-operative year and the balance sheet as on the last day of the co-operative year.

(2) Every co-operative society shall submit its books of accounts and record of all transactions and pertaining to all affairs for the purpose of audit by an auditor or auditing firm to be authorized by General Body from a panel approved by the Registrar.

(3) The Registrar shall not include a person who is not a member of the institute of Chartered Accounted of India or auditing firm which is not dully authorized by the said institute to conduct such audit.

Provided that in case of co-operative society with Government share holding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government, the Registrar may include the auditor in the panel.

(4) Every society shall get its accounts audit by a Auditors or group of Auditors authorized by Registrar in this behalf once at least every financial year and shall pay such fees for auditing as may be prescribed by the registrar in this regard:

Provided that—

(i) the State Government may, by notification, for reasons to be specified therein exempt any class of societies to pay such fees;

(ii) the Registrar shall lay down the minimum qualification and experience of such Auditor of auditing firms referred to in sub-section (1);

(iii) the accounts of every society shall be audited within six months of the close of the financial year to which such accounts relate and the accounts of the societies shall be maintained by the societies concerned in such a manner as may be prescribed by the Registrar in this regard;

(iv) the Auditors, to conduct the audit of the accounts of the society referred to in sub-section (1) shall be appointed by the general body of the society concerned amongst the panel of Auditor or auditing firms approved by the Registrar in this behalf:

Provided further that if there is a complaint of financial irregularities or embezzlement after the completion or issuance of the audit report, the Registrar may order special audit for the purpose.

(5) The audit under sub-section (4) shall include examination of the accounts and the overdue debts, if any, compliance of the instructions and orders of the Registrar issued under this Act, rules

made thereunder and bylaws of the society, the verification of cash balance and securities and valuation of the assets and liabilities of the societies and such other items as may be specified by the Registrar.

(6) The Auditors or Auditing firms shall at all times have access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of the society and may summon any person in possession of or responsible for, the custody of any such books, accounts, documents, papers, securities, cash or other properties, to produce the same at any place at the headquarters of the society or any branch thereof.

(7) Every person who is or has at any time been, an officer or employee of the society and every member and past member of a society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the Auditors or Auditing firms may, require:

Provided that the audit report of accounts of an Apex Society shall be, laid before the State legislature in such a manner, as may be prescribed by the State Government."

Amendment of Section 74.

15. (i) In clause (k) of Section 74 of the Principal Act, for the full stop (.) after the word "offence", the semi colon (;) and word "or" shall be substituted.

(ii) In Section 74 of the Principal Act, after clause (k), the following clauses shall be added, namely:—

"(l) any person willfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of this Act or rules made thereunder except as provided under sub-section (2)of section 59 of the Act; or

(m) any employer who is authorized to make deduction from his salary and other dues for remitting the same to such co-operative society without sufficient clause; or

(n) any person, before, during or after the election of members of the board or office bearers, adopts any corrupt practice, so declared by the state election commission ."

Amendment of Section 75.

16. In Section 75 of the Principal Act,—

(i) (1) In clauses (a), (d), (e) and (h) for the figure "2000" the figure "50,000" shall be substituted respectively.

(2) In clauses (b), (c) and (j) for the figure "1000" the figure "25,000" shall be substituted respectively.

(3) In clause (i) for the figure "500" the figure "25,000" shall be substituted.

(4) In clauses (f), (g) and (k) for the figure "250" the figure "25,000" shall be substituted respectively.

(ii) In clause (k), for the full stop (.) after the figure and word "74[k]", the semi colon (;) and word "or" shall be substituted.

(iii) After clause (k), the following clauses shall be added, namely:—

"(l) with fine not exceeding Rs. 50,000, provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74(l); or

(m) with fine not exceeding Rs. 50,000, in each case, provided that he is convicted of an offence referred to in Section 74(m); or

(n) as prescribed by State Election Commission.

17. For Chapter X of the Principal Act, the following new chapter shall be substituted, namely:—

Insertion of Chapter X.

"Chapter X

Constitution of Tribunal

77. **Chhattisgarh State Co-operative Tribunal.—**

(1) The State Government shall, by notification, constitute a Tribunal called the Chhattisgarh State Co-operative Tribunal to exercise the powers and to discharge the functions conferred or imposed on the Tribunal by or under this Act and the Chhattisgarh Swayatta Sahkarita Adhiniyam, 1999 (No 2 of 2000).

(2) The Tribunal shall consist of the Chairman and two other members.

(3) (a) No person shall be qualified to be the Chairman of the Tribunal unless he had been a Judge of a High Court or has held the office of a Distt. Judge for not less than five years

(b) Of the other two members, one shall be an officer of co-operative department not below the rank of Additional Registrar and the other shall be non -official closely associated with the co-operative movement or an Advocate or a Pleader having practical experience in the co-operative movement for a period of not less than fifteen years;

Provided that if the State Goverment thinks fit, the Tribunal may consist of a single person.

Explanation :— For the purpose of this sub-section "non-official" shall mean a person who on the date of his appointment as a member, does not hold any office of profit under the Goverment of India or the Goverment of any State.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),a person shall be disqualified for being appointed as, or for being a Chairman or a Member of the Tribunal, if he is a member of the Board of any society other than a general body of a society.

(5) (a) The Chairman and other members of the Tribunal shall hold office ordinarily for a period of not less than two years and not more than five years as the State Government may, by notification specify in this behalf.

(b) A person who has held office as the Chairman or a member, for a period mentioned in clause (a) shall be eligible for reappointment.

(c) The Chairman or member of the Tribunal may, at any time, resign his office.

(d) The Chairman or a member of Tribunal may with the permission of the State Goverment held any other office-appointment of not in consist with his position on the Tribunal.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), the State Government may terminate at anytime, the appointment of the Chairman or a member if, in its opinion, such Chairman or member is unable or unfit to continue to perform the duties of his office:

Provided that no appointment shall be terminated under this sub-section unless the person whose appointment is proposed to be terminated is given a reasonable opportunity of showing cause against such termination.

(7) (a) If any vacancy occurs in the office of the Chairman or member by leave, absence, deputation, death, resignation, expiry of the term of appointment, termination of the appointment or for any other cause, whatsoever, such a vacancy shall be filled by appointment of a person qualified for appointment under this Section.

(b) Till the vacancy in the office of the Chairman is filled under sub-section(1), the senior most member shall act as the Chairman of the Tribunal.

(8) The headquarters of the Tribunal shall be at such place as may be notified by the State Government in the Gazette.

(9) The powers and functions of the Tribunal may be exercised and discharged by Benches constituted by the Chairman from amongst the members of the Tribunal including himself.

Provided that, any interlocutory application may be hard by one of more members to may be present.

(10) Such Benches shall consist of to or more members.

(11) Where a matter is heard by three members the opinion of the majority shall prevail, and the decision shall be in accordance with the opinion of the majority. Where a matter is heard by an even number of members, and the members are equally divided in the Chairman be one of the members, the opinion of the Chairman shall prevail and in other cases the matter be referred for hearing to the Chairman and shall be decided in accordance his decision.

(12) Subject to the previous sanction of the State Government, the Tribunal shall frame regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, for regulating its procedure and the disposal of its business.

(13) The regulations made under sub-section (12), shall be published in the Official Gazette.

(14) The Tribunal may *suo motu* or on the application of the party, call for and examine the records of any proceedings in which no appeal lies to it, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed. If in any case, it appears to the Tribunal that any such decisions or orders should be modified, annulled or reversed, the Tribunal may pass such order thereon as it may deem just.

(15) Where an appeal or application is made to the Tribunal under this Act, it may, in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal or applications, as the case may be, as may appear to it to be just and convenient, or such orders as may be necessary for the ends of justice, or to prevent the abuse of the process of the Tribunal.

(16) An order in appeal, or revision or review passed under this Act by the Tribunal, shall be final and conclusive, and shall not be called in question in any Civil or Revenue Court.

(17) The Tribunal hearing an appeal under this Act shall exercise all the powers conferred upon an appellate court by section 96 and order XLI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

77-A. **Review.—**

(1) The Tribunal or Registrar may on the application of any party interested, review its own order in any case and pass such order in reference thereto as it thinks just:

Provided that no such application made by the party interested shall be entertained, unless the Tribunal or the Registrar as the case may be is satisfied that there has been the discovery of new and important matter of evidence, which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of the applicant or could not be produced by him at the time when its order was made, or that there has been mistake or error apparent on the face of the record, or there is any other sufficient reason:

Provided further that no such order shall be varied, amended or revised unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order.

(2) An application for review of any order, by the parties interested shall not be entertained, unless the application is filed within ninety days from the date of passing of the order.

77-B. **Tribunal to exercise powers of a civil court.—**

(1) In exercising the powers conferred on it by or under this Act, the Tribunal shall have all the powers as are vested in Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

(a) proof of facts by affidavits;

(b) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(c) compelling discovery or the production of any document; and

(d) issuing commissions for the examination of witnesses.

(2) In the case of any such affidavit, any officer appointed by the Tribunal in this behalf may administer oath to the deponent.

78. **Appeals before the Registrar and Tribunal.—**

(1) Save where it has been otherwise provided, an appeal shall lie from every original order under this Act or the rules made thereunder:—

(a) If such order is passed by any officer subordinate to Registrar other than Additional Registrar or Joint Registrar, whether or not the officer passing the order is invested with the powers of the Registrar, to the Registrar;

(b) If such order is passed by the Registrar, Additional Registrar or Joint Registrar, to the Tribunal.

(2) A second Appeal shall lie against any order passed in the first appeal by the registrar, to the Tribunal on any of the following grounds only, namely:—

(i) that the order is contrary to law; or

(ii) that the order has failed to determine some material issue of law; or

(iii) that there has been a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Act which may have produced error or defect in the decision of the case upon merits.

(3) Every appeal shall be presented in the prescribed manner to the appellate authority concerned within sixty days from the date on which the order appealed against was communicated to the party affected by the order:

Provided that in computing the period of limitation under this sub-section the time required for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

78-A. **Extension of period of limitation by appellate authority in certain cases.—** In all cases in which it is provided under this Act that an appeal may be filed against any decision or order within a specified period, the appellate authority may admit an appeal after the expiry of such period if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

79. **No appeal or review in certain cases.—** Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where with previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank of India—

(i) an order for the winding up of a co-operative bank; or

(ii) for a scheme of compromise or arrangement or reconstruction or re-organisation or amalgamation ; or

(iii) an order of supersession or suspension of the Board by whatever name called of a Co-operative Bank and the appointment of an officer-in-charge therefore, has been made.

No appeal or review shall lie or be permissible against that, and such order or the sanction or requisition of the Reserve Bank of India shall not be liable to be called in question where such order, scheme compromise, arrangement, reconstruction, re-organisation or amalgamation is passed or made.

80. **Transfer or withdrawal of cases.—** Subject to the provision of section 78, the Registrar, Additional Registrar or Joint Registrar may make over any case or class of cases arising under the provisions of this Act, for decision before him to any officer subordinate to him competent to decide such case or, class of cases or may withdraw any case or class of cases for decisions before any such officer and may proceed to deal with such case or class of cases himself or refer the same to any other officer subordinate to him and competent to decide such case or class of cases.

80-A. **Power of Registrar to call for proceedings of subordinate officers and board of a society and to pass order thereon.—** The Registrar may, at any time on his own motion or on the application made by any party, call for and examine the record of any enquiry or the proceedings by any subordinate officer or a decision of board of a society for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any decision or order passed and as to the regularity of the proceedings of such officer or board. If in any case, it appears to the Registrar that any decision or order or proceedings so called for should be modified, annulled or reversed, the Registrar, may pass such order thereon as he may deem fit:

Provided that no order under this Section shall be made to the prejudice of any party unless such party has had an opportunity of being heard:

Provided further that the powers conferred on the Registrar under this Section, shall not be delegated to any officer below the rank of Joint Registrar.

80-B. **Power to make interlocutory orders.**— When an application for appeal or review is made to Tribunal, or Registrar under this Act, it may in order to prevent the ends of justice being defeated, make such interlocutory orders pending the decision of the appeal or application, as the case may be, as may appear to it / him to be just and convenient, or make such orders as may be necessary for the ends of justice, or to prevent the abuse of legal process.

80-C. **Stay of execution of orders.**—

(1) An officer appointed under section 3 who has passed any order or his successor in office may, at any time before the expiry of the period prescribed for appeal direct the execution of such order to be stayed for such time as may be required for filing an appeal and obtaining a stay order from the appellate authority.

(2) The authority exercising the powers conferred by section 78 or section 80 may direct the execution of the order under appeal or review to be stayed for such time as it may think fit.

(3) The officer or authority directing the execution of an order to be stayed may impose such conditions or order such security to be furnished as he or it thinks fit.

80-D. **Transfer of pending cases.**— Every appeal or any other proceeding pending before the State Government, immediately before the date of constitution of Chhattisgarh State Co-operative Tribunal under this Act, shall stand transferred to the Tribunal from the date of notifications by Goverment of Chhattisgarh ."

18. 95-A. After Section 95 of the principal Act the following section shall be inserted namely:—

Removal of difficulties

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may pass such order not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary to remove such difficulty:

Provided that no such order shall be passed after the expiry of the period of two years from the date of coming into force of this Act.

(2) The order passed under sub-section (1) shall be laid on the table of the legislative assembly, as soon as may be, and in any case, not later than the last day of session next following the date of the order."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.